न्यायालय सहायक कलेक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
333/2024	02.12.2024	.02.2026

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– गिरिराज पुत्र किशन दत्त
2–गायत्री पत्नी गिरिराज जाति मीणा निवासीगण ग्राम बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. पुखराज आत्मज रामेश्वर
2. राधेश्याम आत्मज रामेश्वर जाति मीणा निवासीगण ग्राम बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा
3. रामराज बाई पुत्री रामेश्वर निवासी बांक्या मृतक जरिये कायम मुकामान–
   3/1–कुलदीप आत्मज बृज मोहन
   3/2–महेश आत्मज बृज मोहन
   3/3–हेमलता पुत्री बृज गोहन
   3/4–पूजा पुत्री बृज मोहन
   3/5–बृजमोहन आत्मज जगन्नाथ
   जाति मीणा निवासीगण ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
4. दी स्टेट ओफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री गिरिराज प्रसाद मीणा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :– श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट

वाद बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर टी एक्ट 1955

वादीगण निम्न लिखित निवेदन करते है–

यह कि ग्राम बराना पटवार हल्का बिसलाई तहसील दीगोद में खाता सं0 82 नया पुराना 81 पर खसरा नम्बर 108 की 2–01 हेक्टर व खसरा नम्बर 116 की 0–91 हेक्टर भूमि कुल दो किता की 2–92 हेक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 3 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी

नं0 1 ता 3 का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 सलंग्न है। यह कि ग्राम बांक्या पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील दीगोद में खाता सं० 20 नया पुराना 121 पर खसरा नम्बर 144 की 0—95 हेक्टर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण नं० 1 लगायत 3 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का 1/4, 1/4 हिस्सा, व प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 सलंग्न है। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण जाति से मीणा है तथा मीणा जाति व समाज में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। इस कारण मीणा जाति व समाज में पुरुष वर्ग मोजूद होने पर पुत्रियो / महिलाओं का भूमि में कोई अधिकार नहीं होता है। वैसे भी लडकियां अपने ससुराल में निवास करती है। रामेश्वर जी की मृत्यु के बाद पुरूष वारिस के रूप में प्रति० मौजूद है इस कारण उक्त भूमि में प्रतिवादी नं० 3 रामराजबाई जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम राजस्व रिकार्ड से डिलीट कराने के वादीगण अधिकारी है। यह कि उक्त दोनों खातों की भूमियां वादी व प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। प्रतिवादी नं0 1 ता 3 के पिता रामेश्वर जी ने अन्य गांवों की भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त कर लेने के कारण ग्राम बराना व ग्राम बांक्या की भूमि में उनका कोई कब्जा काश्त नहीं रहा ओर रामेश्वर जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में पूर्व से ही हक त्याग कर रखा है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का भी नाम डिलीट किया जाना व वादीगण को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादी नं0 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाने व सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित कराने को दिनांक 6—9—2024 को कहा तो प्रतिवादी नं0 1 ता 3 ने इन्कार कर दिया। यह कि वादीगण को उपरोक्त प्रकार से उक्त भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया गया तथा प्रतिवादी नं० 1—2, व प्रतिवादी नं० 3 मृतक रामराज बाई का नाम डिलीट नहीं किया गया तो वादीगण को अपार क्षति होगी वादीगण अपने अधिकारों व साम्पतिक अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो जावेगें जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नही हो सकेगी व दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण को अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के खिलाफ माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि दी स्टेट ओफ राजस्थान भूमि की लेन्ड हॉल्डर होने से प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है जिसे बतोर प्रतिवादी पक्षकार बना कर यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में मामला अर्जेन्ट नेचर एंव इमीजिएट रिलीफ से संबंधित होने के कारण प्रतिवादी नं0 4 को धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिये जाने की सूरत में दाया प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा। अतः धारा 80 उप धारा (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिवादी को दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिये जाने से एक्जम्पशन फरमाया जावे तथा

बिना नोटिस दिये ही दावा प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान फरमाई जावे। नोटिस नहीं दिया गया है ओर बिना नोटिस दिये धारा 80 (2) जाप्ता दीवानी के आवेदन के साथ यह वाद प्रस्तुत है। यह कि वाद कारण प्रतिवादी नं. 1 ता 3 द्वारा उपरोक्त भूमि में से अपना नाम डिलीट कराने से इन्कार करने पर व वादी के कब्जे में व्यवधान पैदा करने की दिनांक 6–9–2024 को धमकी देने पर पैदा हुआ।

अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– कि ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 108 की 2–01 हेक्टर व खसरा नम्बर 116 की 0–91 हेक्टर भूमि कुल दो किता की 2–92 हेक्टर भूमि ग्राम बांक्या पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 144 की 0–95 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी न० 1 व 2 व प्रतिवादी नं० 3 मृतक रामराजबाई का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण को उक्त सम्पूर्ण भूमि का खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जावे। कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण उपरोक्त ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 108 की 2–01 हेक्टर व खसरा नम्बर 116 की 0–91 हेक्टर भूमि कुल दो किता की 2–92 हेक्टर भूमि तथा ग्राम बांक्या पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 144 की 0–95 हेक्टर भूमि को अथवा उसके किसी भी भाग को रहन, बेचान व खुर्द बुर्द व अन्तरण नहीं करे। वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर ना ही अपने एजेन्ट से ही करवाये।

वादीगण की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है:–

1– नकल वसीयतनामा प्रति ग्राम बडौद

2– नकल जमाबन्दी प्रति ग्राम बडौद संवत 2075–2078

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी हेतु विधिवत सम्मन जारी किये। प्रतिवादीगण की ओर अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र दाधिच आये। वादी एवं प्रतिवादी ने आपसी सहमति से समझाईश कर आपस में राजीनामा कर लिया है। वादी अधिवक्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि वाद राजीनामा अनुसार डिक्री निर्णय किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा हुआ, जो शामिल फाईल किया गया।

राजीनामा

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। जो माननीय न्यायालय में राजीनामा पेश कर रहे है। यह कि ग्राम बराना पटवार हल्का बिसलाई तहसील दीगोद में खाता सं0 82 नया 81 पर खसरा नं0 108 की 2.01 हे0 व खसरा नं0 116 की 0.91 हेक्टर भूमी कुल दो किता की 2.92 हेक्टर भूमि व ग्राम बाक्या पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील दीगोद में खाता सं0 20 नया पुराना 121 पर ख0न0 144 की 0.95 है भूमि वादीगण व प्रतिवादीगणो नं. 1 लगायत 3 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जो प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाने व सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित होने मे प्रतिवादीगणें का कोई आपत्ति नही है। यह कि इस प्रकार डिक्री पारित करने पर तथा वादीगणो को सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित होने पर प्रतिवादीगणे को कोई आपत्ति नही होने पर डिक्री पारित की जावे। यह कि राजीनामा वादीगणो व प्रतिवादीगणो ने होस हवास में लिखा है जिस पर आपत्ति नही है। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी के अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन अवलोकन एवं मनन किया गया। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी का वाद राजीनामा के आधार पर वाद को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम बराना पटवार हल्का बिसलाई तहसील दीगोद में खाता सं0 82 नया 81 पर खसरा नं0 108 की 2.01 हे0 व खसरा नं0 116 की 0.91 हेक्टर भूमी कुल दो किता की 2.92 हेक्टर भूमि व ग्राम बाक्या पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील दीगोद में खाता सं0 20 नया पुराना 121 पर ख0न0 144 की 0.95 है भूमि में प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में से डिलीट किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व वसूली किया जावे। शेष यथावत रहेगा। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– गिरिराज पुत्र किशन दत्त

2– गायत्री पत्नी गिरिराज जाति मीणा निवासीगण ग्राम बाक्या तहसील दीगोद जिला कोटा

(वादीगण)

बनाम

1. पुखराज आत्मज रामेश्वर
2. राधेश्याम आत्मज रामेश्वर जाति मीणा निवासीगण ग्राम बांक्या तहसील दीगोद जिला कोटा
3. रामराज बाई पुत्री रामेश्वर निवासी बांक्या मृतक जरिये कायम मुकामान–

3/1–कुलदीप आत्मज बृज मोहन

3/2–महेश आत्मज बृज मोहन

3/3–हेमलता पुत्री बृज गोहन

3/4–पूजा पुत्री बृज मोहन

3/5–बृजमोहन आत्मज जगन्नाथ

जाति मीणा निवासीगण ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

4. दी स्टेट ओफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री गिरिराज प्रसाद मीणा एडवोकेट

प्रतिवादीगण की और से :– श्री सुरेन्द्र दाधिच एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट

मिसल नं 333/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादीगण व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि – वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजीनामा अनुसार ग्राम बराना पटवार हल्का बिसलाई तहसील दीगोद में खाता सं0 82 नया 81 पर खसरा नं0 108 की 2.01 हे0 व खसरा नं0 116 की 0.91 हेक्टर भूमी कुल दो किता की 2.92 हेक्टर भूमि व ग्राम बाक्या पटवार हल्का किशोरपुरा तहसील दीगोद में खाता सं0 20 नया पुराना 121 पर ख0न0 144 की 0.95 है भूमि में प्रतिवादीगण नं0 1 ता 3 का नाम राजस्व रिकार्ड में से डिलीट किया जाकर सम्पूर्ण भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार दीगोद को

निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व वसूली किया जावे। शेष यथावत रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 27.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा					
मुद्ई	रूपयै	पैसे	स्टाम्प अर्जी दावा		
			मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0			
महन्ताना वकील	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	महन्ताना वकील	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
			बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

सहायक कलक्टर
दीगोद